आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 456 दिनांक 08 नवम्बर, 2002 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा 15 एवं उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 455 दिनांक 8 नवम्बर, 2002 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनयमन) नियमावली 1954 के नियम 21 के अन्तर्गत पेराई सत्र 2021–22 हेतु राज्य की सहकारी क्षेत्र की 03, सार्वजनिक क्षेत्र की 02 एवं निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2021–22 में पेराई कार्य संचालन हेतु गन्ना सुरक्षण प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये।

संदर्भित विषय में चीनी मिलों को गन्ना क्षेत्रफल/गन्ना क्रय केन्द्रों के आवंटन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 22 में प्राविधान है कि :–

In reserving an area for or assingning an area to a factory or determining the quantity of cane to be purchased from an area by a factory, under Section 15, the Cane Commissioner may take into consideration-

a) the distance of the area from the factory,

b) facilities for transport of cane from the area,

c) the quantity of cane supplied from the area to factory in previous year,

d) previous reservation order,

e) the quantity of cane to be crushed in factory,

f) the arrangements made by the factory in previous years for payment of cess, cane price and commission,

g) the views of the cane-grower's Co-operative Society of the area,

h) efforts made by the factory in developing the reserved of assigned area.

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा (1)(ए) के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या 1417/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0सुर0–2021–22 दिनांक 23 अक्टूबर, 2021 तथा पत्र संख्या 1428/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0सुर0–2021–22 दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के क्रम में सभागार, कार्यालय अधोहस्ताक्षरी में राज्य की समस्त सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा गन्ना कृषकों से पेराई सत्र 2021–22 हेतु गन्ना क्षेत्रफल आवंटन के सम्बन्ध में गन्ना सुरक्षण बैठक आहूत की गई तथा पेराई सत्र 2021–22 हेतु चीनी मिल को गन्ना क्षेत्रफल आवंटन एवं गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में पक्षों को सुना गया।

उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 12 (2) के अन्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या 1344/सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0आ0/2021–22 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 द्वारा पेराई सत्र 2021–22 हेतु चीनी मिलों की निम्नानुसार गन्ना आवश्यकता निर्धारित की गयी है :–

क्र0 सं0	नाम चीनी मिल	पेराई क्षमता (टी0सी0डी0)	गन्ना आवश्यकता (लाख कुन्तल)
1	2	3	4
	(अ) सहकारी क्षेत्र :–		
1.	दि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)	4000	48.00
2.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, नादेही (ऊधमसिंह नगर)	2000	28.00
3.	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)	2500	35.00
	(ब) सार्वजनिक क्षेत्र :–		
4.	किच्छा शुगर कम्पनी लि0, किच्छा (ऊधमसिंह नगर)	4000	45.00
5.	डोईवाला शुगर कम्पनी लि0, डोईवाला (देहरादून)	2500	32.00
	(स) निजी क्षेत्र :–		
6.	मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेड़ी (हरिद्वार)	6250	100.00
7.	मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, इकबालपुर (हरिद्वार)	5500	88.00
8.	मैसर्स आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर (हरिद्वार)	10000	160.00

राज्य में पेराई सत्र 2020–21 में सहकारी क्षेत्र की 02, सार्वजनिक क्षेत्र की 02 एवं निजी क्षेत्र की 03 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य सम्पादित किया गया। गत पेराई सत्र में चीनी मिलों को गन्ने की आवश्यकता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध कराने के उपरान्त, चीनी मिलों द्वारा क्षमता के अनुरूप ड्राल प्रतिशत बढ़ाते हुए अपनी आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की पेराई नहीं की गयी। चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021–22 हेतु उनकी निर्धारित गन्ना आवश्यकता एवं गन्ने के समरूप गन्ना क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जा रहा है। चीनी मिल का दायित्व है कि चीनी मिल अनुमानित गन्ना उपलब्धता में से अधिक से अधिक गन्ना ड्राल हेतु प्रयास कर अधिक से अधिक गन्ने की पेराई करे जो कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों को दी जा रही सुविधाओं एवं समयान्तर्गत चीनी मिल चलाए जाने एवं गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने पर निर्भर करता है, ताकि गन्ना अन्यत्र व्यावर्तित न होने पाये।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष क्राप कटिंग प्रयोगों के परिणामों के आधार पर पेराई सत्र 2021–22 में जनपद ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में गन्ने की औसत उपज 846 कुन्तल प्रति हैक्टेयर, जनपद हरिद्वार में 927 कुन्तल प्रति हैक्टेयर तथा जनपद देहरादून में 715 कुन्तल प्रति हैक्टेयर है।

अतः गन्ना कृषक प्रतिनिधियों एवं गन्ना समितियों के विचार तथा चीनी मिलों द्वारा सुरक्षित एवं अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना विकास कार्यो, सम्बन्धित चीनी मिलों की पेराई क्षमता, गन्ने की आवश्यकता, सम्बन्धित क्षेत्र में गन्ने की उपज आदि के सम्बन्ध में तैयार किये गये विवरण, गन्ने की उपलब्धता एवं चीनी मिलों की आवश्यकता, समय–समय पर माननीय न्यायालयों एवं अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रतिपादित सिद्धातों, उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 22 में उल्लेखित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए मैं हंसा दत्त पाण्डे, आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 15 तथा गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 की संगत धारा में उल्लेखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं समस्त पूर्वादेशों का अतिक्रमण करते हुए संलग्न तालिका में अंकित क्रय केन्द्रों तथा तालिका के अन्त में उल्लेखित नोट में दिये आदेशों/निर्देशों के प्रतिबन्धों सहित तालिका में अंकित चीनी मिल को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2021–22 के लिये सुरक्षित करता हूं। समस्त चीनी मिलों को आदेशित करता हूं कि अपने सुरक्षित क्रय केन्द्रों को मिल चलने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से चला दें, अन्यथा विधिक दण्डात्मक कार्यवाही करने के साथ असंचालित क्रय केन्द्रों को अन्य चीनी मिलों को व्यावर्तित/अभ्यर्पित करने पर विचार किया जायेगा। समस्त चीनी मिलों के अध्यासियों को निर्देशित किया जाता है कि गन्ना सुरक्षण प्रस्ताव निर्गत/प्रसारित होने के 14 दिवस के भीतर सम्बन्धित गन्ना विकास समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश 1954 के उपबन्ध 3 (3) एवं 4 (1) में उल्लेखित प्रारूपों पर अनिवार्य रूप से अनुबन्ध कर लें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त गन्ना क्रय केन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि गन्ना पेराई समापन करने से पूर्व अपने सुरक्षित एवं अभ्यर्पित क्षेत्र मे सम्पूर्ण गन्ने की खपत का प्रमाण पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहायक गन्ना आयुक्त से प्राप्त करके इस कार्यालय की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही पेराई कार्य समापन करेंगे।

उक्त आदेश मात्र पेराई सत्र 2021–22 हेतु निर्गत किये जा रहे हैं एवं यह तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किये जाये।

संलग्न : यथोपरि।

(हंसा दत्त पाण्डे)
आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

सामान्य निर्देश

1. पेराई सत्र 2021–22 में जिन नये क्रय केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रय केन्द्रों के स्थान का चयन उसी राजस्व ग्राम में सम्बन्धित सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा गन्ना कृषकों की सुविधा ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा। सहायक गन्ना आयुक्त क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेंगे तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृषक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रय केन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित हो तथा किसी भी कृषक को एक से अधिक क्रय केन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाये।
2. चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रय केन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम में दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रय केन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के एक क्रय केन्द्र से हटाकर दूसरे क्रय केन्द्रों पर सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर सहायक गन्ना आयुक्त द्वारा सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति से आख्या प्राप्त कर उचित निर्णय लिया जायेगा।
3. क्रय केन्द्रों की स्थापना यथा सम्भव उसी राजस्व ग्राम में की जायेगी जिस नाम से वह स्वीकृत किया गया है। सामान्यतः पूर्व वर्षों के स्थापित क्रय केन्द्रों के स्थान में परिवर्तन न किया जाये। भौगोलिक कठिनाई, यातायात में असुविधा या विवाद आदि औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य स्थिति में यदि स्थान परिवर्तन करना अत्यावश्यक हो तो सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सहायक गन्ना आयुक्त उसी राजस्व ग्राम के अन्य स्थल का चयन कर क्रय केन्द्र स्थापित करायेंगे।
4. यदि पेराई सत्र 2021–22 में चीनी मिल द्वारा सन्तोषजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रय केन्द्र मूल रूप में आवंटित हुआ था।
5. गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिवस के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश, 1954 के उपबन्ध–3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप–स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगी उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. चीनी मिलें उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा–17 एवं 18 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) का भुगतान सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में चीनी मिलों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(हंसा दत्त पाण्डे)
आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक : 1503 /सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0सुर0/2021–22 **/दिनांक : 08 नवम्बर, 2021**

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार एवं देहरादून को इस आशय के साथ कि कृपया उत्तराखण्ड शासन की वे उत्तराखण्ड गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम 23 के अनुसार उपरोक्त आदेशों को प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0, देहरादून।
4. संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
5. उपायुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
6. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि चीनी मिल को सुरक्षित/अभ्यर्पित समस्त गन्ना क्रय केन्द्र आवंटन के एक सप्ताह के भीतर चीनी मिलों द्वारा संबंधित क्रय केन्द्रों को संचालित कर दिया जाय तथा गन्ना क्रय केन्द्र/केन्द्रों संचालन के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी तथा गन्ना निरीक्षक/सहायक चीनी आयुक्त, हल्द्वानी/काशीपुर को 15 दिवस के भीतर अवगत करायेंगे।
7. गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) को इस निर्देश के साथ कि वे तत्काल समस्त तौल लिपिकों के मिलवार अनुज्ञापन निर्गत करने की सूचना से अवगत करायें। इसके अतिरिक्त क्रय केन्द्रों के संचालन पर स्वयं निगरानी रखेंगे तथा निर्दिष्ट समय के भीतर क्रय केन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरूद्ध विधिक दण्डात्मक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए अनुपालन की स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
8. समस्त प्रधान प्रबन्धक/अधिशासी निदेशक/अध्यासी, सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तराखण्ड।
9. प्रचार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, काशीपुर को सुरक्षण आदेश के प्रचार प्रसार हेतु।
10. निदेशक, माप एवं तौल, उत्तराखण्ड।
11. नोडल अधिकारी (आई0टी0), मुख्यालय, काशीपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सुरक्षण आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास परिषदें, उत्तराखण्ड।
13. समस्त सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तराखण्ड।

08/11/21
आयुक्त
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

(खण्ड–क)

पत्रांक : 1503 / सी / ख–क्रय अनुभाग / ग0सुर0 / 2021–22 / दिनांक : 08 नवम्बर, 2021

मैसर्स आर0बी0एन0एस0 शुगर मिल्स लि0, लक्सर (हरिद्वार)

क्र0सं0	नाम गन्ना समिति	नाम गन्ना क्रय केन्द्र	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	औसत उपज के अनुसार अनुमानित गन्ना उत्पादन (लाख कु0)	सुरक्षित/अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्सर	मिलगेट	15267	141.53	सुरक्षित	–
2	लक्सर	सुल्तानपुर	400	3.71	सुरक्षित	–
3	लक्सर	बादशाहपुर (बादशाहपुर–अ)	256	2.37	सुरक्षित	–
4	लक्सर	शाहपुर शीतलाखेड़ा (बादशाहपुर–ब)	121	1.12	सुरक्षित	–
5	लक्सर	धारीवाला/टिकौला	216	2.00	सुरक्षित	–
6	लक्सर	शेरपुर (बादशाहपुर–स)	300	2.78	सुरक्षित	–
7	लक्सर	नसीरपुर कलां (बादशाहपुर–द)	294	2.73	सुरक्षित	
8	लक्सर	भिक्कमपुर	360	3.34	सुरक्षित	–
9	लक्सर	बाकरपुर	200	1.85	सुरक्षित	–
10	लक्सर	कंकरखाता	400	3.71	सुरक्षित	–
11	लक्सर	खानपुर ब्रहमपुर	200	1.85	सुरक्षित	–
12	लक्सर	रायसी (रायसी–अ)	320	2.97	सुरक्षित	–
13	लक्सर	महाराजपुरकलां (रायसी–ब)	300	2.78	सुरक्षित	–
14	लक्सर	कुड़ी (रायसी–स)	250	2.32	सुरक्षित	–
15	लक्सर	कलसिया (रायसी–द)	290	2.69	सुरक्षित	–
16	लक्सर	महाराजपुर खुर्द/गंगदासपुर	240	2.22	सुरक्षित	–
17	लक्सर	खानपुर (खानपुर–अ)	290	2.69	सुरक्षित	–
18	लक्सर	तुगलपुर (खानपुर–ब)	310	2.87	सुरक्षित	–
19	लक्सर	सैदाबाद (लालपुर)	160	1.48	सुरक्षित	–
20	लक्सर	चन्दपुरी कलां (चन्दपुरी–अ)	190	1.76	सुरक्षित	–
21	लक्सर	दल्लेवाला कलां (चन्दपुरी–ब)	230	2.13	सुरक्षित	–
22	लक्सर	माड़ाबेला (चन्दपुरी–स)	190	1.76	सुरक्षित	–
23	लक्सर	चन्दपुरी खुर्द	200	1.85	सुरक्षित	–
24	लक्सर	शेरपुर बेला	150	1.39	सुरक्षित	–
25	लक्सर	रामपुर रायघटी (भिक्कमपुर)	220	2.04	सुरक्षित	–
26	लक्सर	पीटापुरी	200	1.85	सुरक्षित	
27	लक्सर	बॉडीटीप/तिलकपुरी	200	1.85	सुरक्षित	
28	लक्सर	भोगपुर–अ	125	1.16	सुरक्षित	–
29	लक्सर	भोगपुर–ब (टांडा भागमल)	200	1.85	सुरक्षित	–
30	लक्सर	फतवा	220	2.04	सुरक्षित	–

31	लक्सर	ऐथल	100	0.93	सुरक्षित	–
32	लक्सर	पंचेवली	350	3.24	सुरक्षित	–
33	लक्सर	भगतनपुर	200	1.85	सुरक्षित	–
34	लक्सर	अलावलपुर **बिहारी नगर**	120	1.11	सुरक्षित	–
35	लक्सर	सुभाषगढ़–अ (नस्तरपुर डेराकराल)	130	1.21	सुरक्षित	–
36	लक्सर	सुभाषगढ़–ब (नस्तरपुर डेराकराल)	50	0.46	सुरक्षित	–
37	लक्सर	निरंजनपुर (निरंजनपुर–अ)	500	4.64	सुरक्षित	–
38	लक्सर	केवलपुरी (निरंजनपुर–ब)	188	1.74	सुरक्षित	–
39	लक्सर	डुम्मनपुरी	215	1.99	सुरक्षित	–
40	लक्सर	अलावलपुर	230	2.13	सुरक्षित	–
41	लक्सर	डूंगरपुर	200	1.85	सुरक्षित	–
42	लक्सर	रणजीतपुर	240	2.22	सुरक्षित	–
43	लक्सर	रानीमाजरा	186	1.72	सुरक्षित	–
		योग :–	**25008**	**231.82**	–	–
44	इकबालपुर	नगलाखुर्द–अ	35	0.32	सुरक्षित	–
45	इकबालपुर	नगलाखुर्द–ब	35	0.32	सुरक्षित	–
46	इकबालपुर	रतनपुर	83	0.77	सुरक्षित	–
47	इकबालपुर	भौरी–अ गोविन्दपुर	62	0.57	सुरक्षित	–
48	इकबालपुर	बेलड़ा–स	61	0.57	सुरक्षित	–
49	इकबालपुर	मुकरपुर (मुकरपुर रणसुरा–अ)	134	1.24	सुरक्षित	–
		योग :–	**410**	**3.80**	–	–
50	ज्वालापुर	फेरूपुर (फेरूपुर–अ)	208	1.93	सुरक्षित	–
51	ज्वालापुर	धनपुरा (फेरूपुर–ब)	316	2.93	सुरक्षित	–
52	ज्वालापुर	घिस्सुपुरा (फेरूपुर–स)	79	0.73	सुरक्षित	–
53	ज्वालापुर	फेरूपुर–एफ	47	0.44	सुरक्षित	–
54	ज्वालापुर	बोंगला–ब	80	0.74	सुरक्षित	–
55	ज्वालापुर	पथरी (पथरी–अ)	171	1.59	सुरक्षित	–
56	ज्वालापुर	अम्बूवाला (पथरी–ब)	172	1.59	सुरक्षित	–
57	ज्वालापुर	पथरी–स	171	1.59	सुरक्षित	–
58	ज्वालापुर	बहादुरपुर जट्ट–अ	123	1.14	सुरक्षित	–
59	ज्वालापुर	बहादुरपुर जट्ट–ब	124	1.15	सुरक्षित	
60	ज्वालापुर	जियापोता	83	0.77	सुरक्षित	–
61	ज्वालापुर	कटारपुर	234	2.17	सुरक्षित	–
62	ज्वालापुर	गैण्डीखाता / लाहरपुर	72	0.67	सुरक्षित	–
63	ज्वालापुर	पीलीपड़ाव	104	0.96	सुरक्षित	–
64	ज्वालापुर	दिनारपुर–अ	27	0.25	सुरक्षित	–
65	ज्वालापुर	दिनारपुर–ब	27	0.25	सुरक्षित	–
66	ज्वालापुर	सराय / ज्वालापुर	37	0.34	सुरक्षित	–
67	ज्वालापुर	एक्कड़कला–अ	95	0.88	सुरक्षित	–
68	ज्वालापुर	बहादराबाद (बहादराबाद–अ)	47	0.44	सुरक्षित	–
69	ज्वालापुर	अलीपुर (अलीपुर–अ)	137	1.27	सुरक्षित	–
70	ज्वालापुर	इब्राहीमपुर चीटींकोठी–अ	68	0.63	सुरक्षित	–
71	ज्वालापुर	इब्राहीमपुर चीटींकोठी–ब	81	0.75	सुरक्षित	–

72	ज्वालापुर	नयागांव (लालढांग–ब)	158	1.46	सुरक्षित	–
73	ज्वालापुर	मंगोलपुरी (रसूलपुर मीठीबेरी–ब)	126	1.17	सुरक्षित	–
74	ज्वालापुर	सहदेवपुर (सहदेवपुर–अ)	44	0.41	सुरक्षित	–
75	ज्वालापुर	रोहालकी–अ	72	0.67	सुरक्षित	–
76	ज्वालापुर	खिजरपुर (रोहालकी–स)	130	1.21	सुरक्षित	–
77	ज्वालापुर	अहमदपुर ग्रंट (अहमदपुर ग्रंट–अ)	190	1.76	सुरक्षित	–
78	ज्वालापुर	टाटवाला–ब	86	0.80	सुरक्षित	–
योग :–			**3309**	**30.67**	–	–
महायोग :–			**28727**	**266.30**	–	–

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

(खण्ड–क)

पत्रांक : 1503 /सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0सु0/2021–22 /दिनांक : 08 नवम्बर, 2021

मैसर्स उत्तम शुगर मिल्स लि0, लिब्बरहेड़ी (हरिद्वार)

क्र0सं0	नाम गन्ना समिति	नाम गन्ना क्रय केन्द्र	गन्ना क्षेत्रफल (हेक्टे0)	औसत उपज के अनुसार अनुमानित गन्ना उत्पादन (लाख कु0)	सुरक्षित/अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लिब्बरहेड़ी	मिलगेट	3985	36.94	सुरक्षित	–
2	लिब्बरहेड़ी	मिशन	324	3.00	सुरक्षित	–
3	लिब्बरहेड़ी	बुक्कनपुर–अ	324	3.00	सुरक्षित	–
4	लिब्बरहेड़ी	शिक्खर अ	248	2.30	सुरक्षित	–
5	लिब्बरहेड़ी	शिक्खर ब	248	2.30	सुरक्षित	–
6	लिब्बरहेड़ी	सढौली–अ	147	1.36	सुरक्षित	–
7	लिब्बरहेड़ी	लखनौता–अ	398	3.69	सुरक्षित	–
8	लिब्बरहेड़ी	खेड़ाजट–अ	121	1.12	सुरक्षित	–
9	लिब्बरहेड़ी	थिथीकी कवादपुर	310	2.87	सुरक्षित	–
10	लिब्बरहेड़ी	टिकौला कला–अ	124	1.15	सुरक्षित	–
11	लिब्बरहेड़ी	मुण्डलाना–अ	111	1.03	सुरक्षित	–
12	लिब्बरहेड़ी	मुण्डलाना–ब	110	1.02	सुरक्षित	–
13	लिब्बरहेड़ी	मुण्डलाना–स	111	1.03	सुरक्षित	–
14	लिब्बरहेड़ी	मोहम्मदपुर जट–अ	108	1.00	सुरक्षित	–
15	लिब्बरहेड़ी	शेरपुर खेलमऊ–अ	99	0.92	सुरक्षित	–
16	लिब्बरहेड़ी	शेरपुर खेलमऊ–ब	99	0.92	सुरक्षित	–
17	लिब्बरहेड़ी	ब्रहमपुर जट–अ	109	1.01	सुरक्षित	–
18	लिब्बरहेड़ी	सिकन्दरपुर मवाल	186	1.72	सुरक्षित	–
19	लिब्बरहेड़ी	बसुवाखेड़ी–अ	62	0.57	सुरक्षित	–
20	लिब्बरहेड़ी	लाठरदेवा हूण	84	0.78	सुरक्षित	–
21	लिब्बरहेड़ी	सुसाड़ीकला–अ	150	1.39	सुरक्षित	–
22	लिब्बरहेड़ी	गाधारौणा	181	1.68	सुरक्षित	–
23	लिब्बरहेड़ी	खेड़ाजट–ब	100	0.93	सुरक्षित	–
24	लिब्बरहेड़ी	बुक्कनपुर–ब	70	0.65	सुरक्षित	–
25	लिब्बरहेड़ी	लखनौता–ब/मखदूमपुर	46	0.43	सुरक्षित	–
26	लिब्बरहेड़ी	सुसाड़ीकला–ब	64	0.59	सुरक्षित	–
27	लिब्बरहेड़ी	उल्हेड़ा	79	0.73	सुरक्षित	–
		योग :–	**7998**	**74.14**	–	–
28	इकबालपुर	भगवानपुर चन्दन	141	1.31	सुरक्षित	–
29	इकबालपुर	लण्ढौरा/शिकारपुर (लण्ढौरा–अ)	169	1.57	सुरक्षित	–
30	इकबालपुर	थिथौला (लण्ढौरा–ब)	84	0.78	सुरक्षित	–

31	इकबालपुर	जलालपुर	69	0.64	सुरक्षित	–
32	इकबालपुर	टोडा खटका	143	1.33	सुरक्षित	–
33	इकबालपुर	ढंडेरा	214	1.98	सुरक्षित	–
34	इकबालपुर	शेरपुर–ब/बाजूहेड़ी	102	0.95	सुरक्षित	–
35	इकबालपुर	शेरपुर–अ	56	0.52	सुरक्षित	–
36	इकबालपुर	ढंडेरी ख्वाजीपुर–ब	130	1.21	सुरक्षित	–
37	इकबालपुर	दौलतपुर	95	0.88	सुरक्षित	–
38	इकबालपुर	बहादुरपुर सैनी (अ+ब)	73	0.68	सुरक्षित	–
39	इकबालपुर	जौरासी जबरदस्तपुर–अ+ब	290	2.69	सुरक्षित	–
40	इकबालपुर	नगला इमरती (अ+ब)	66	0.61	सुरक्षित	–
41	इकबालपुर	पिरान कलियर (अ+ब)	48	0.44	सुरक्षित	–
42	इकबालपुर	मरगूबपुर–अ	51	0.47	सुरक्षित	–
43	इकबालपुर	मुस्तफाबाद–अ	57	0.53	सुरक्षित	–
44	इकबालपुर	मुस्तफाबाद–ब	56	0.52	सुरक्षित	–
45	इकबालपुर	भारापुर–ब	50	0.46	सुरक्षित	–
46	इकबालपुर	ईमलीखेड़ा (अ+ब)	96	0.89	सुरक्षित	–
47	इकबालपुर	बोडाहेड़ी (अ+ब)	118	1.09	सुरक्षित	–
48	इकबालपुर	मुकरपुर रणसुरा–ब	134	1.24	सुरक्षित	–
49	इकबालपुर	कोटामुरादग्रंट	51	0.47	सुरक्षित	–
50	इकबालपुर	डालूवाला खुर्द	85	0.79	सुरक्षित	–
51	इकबालपुर	बहबलपुर (अ+ब)	106	0.98	सुरक्षित	–
52	इकबालपुर	भगवानपुर–द/करोन्दी	103	0.95	सुरक्षित	–
53	इकबालपुर	सोहलपुर माजरी–द	38	0.35	सुरक्षित	–
54	इकबालपुर	डाडापट्टी–स	96	0.89	सुरक्षित	–
55	इकबालपुर	तांशीपुर–ब	218	2.02	सुरक्षित	–
56	इकबालपुर	कासमपुर–ब	39	0.36	सुरक्षित	–
57	इकबालपुर	कोटवाल–अ	172	1.59	सुरक्षित	–
58	इकबालपुर	हरश्यामपुर	90	0.83	सुरक्षित	–
59	इकबालपुर	झबरेड़ा कस्बा अ	219	2.03	सुरक्षित	–
60	इकबालपुर	पनियाला चन्दापुर	185	1.71	सुरक्षित	–
61	इकबालपुर	चुड़ियाला–अ	120	1.11	सुरक्षित	–
62	इकबालपुर	चुड़ियाला–ब	120	1.11	सुरक्षित	–
63	इकबालपुर	हजाराग्रंट (हजाराग्रंट–अ)	51	0.47	सुरक्षित	–
64	इकबालपुर	भलस्वागाज–अ	100	0.93	सुरक्षित	–
65	इकबालपुर	बूढ़पुर/नूरपुर–अ	87	0.81	सुरक्षित	–
66	इकबालपुर	अकबरपुर झोझा–ब	107	0.99	सुरक्षित	–
67	इकबालपुर	बेलड़ा (अ+ब)	122	1.13	सुरक्षित	–
68	इकबालपुर	धनौरा–ब	102	0.95	सुरक्षित	–
69	इकबालपुर	भगवानपुर (भगवानपुर–अ)	97	0.90	सुरक्षित	–
70	इकबालपुर	भौरी–ब द्वितीय (गोविन्दपुर)	123	1.14	सुरक्षित	–
71	इकबालपुर	सरगेठी	100	0.93	सुरक्षित	–
72	इकबालपुर	फाजिलपुर	40	0.37	सुरक्षित	–
73	इकबालपुर	झबरेड़ी कलां अ	110	1.02	सुरक्षित	–

74	इकबालपुर	मोलना	100	0.93	सुरक्षित	–
75	इकबालपुर	मानकपुर / हरचन्दपुर **माजरा–ब**	250	2.32	सुरक्षित	–
76	इकबालपुर	लाठरदेवा शेख	70	0.65	सुरक्षित	–
77	इकबालपुर	ननहेड़ा अन्तपुर	200	1.85	सुरक्षित	–
78	इकबालपुर	सोहलपुर–**ब**	89	0.83	सुरक्षित	–
79	इकबालपुर	कासमपुर–**अ**	39	0.36	सुरक्षित	–
80	इकबालपुर	**जस्वावाला** (धनौरी **ब**)	101	0.94	सुरक्षित	–
81	इकबालपुर	नगलाखुर्द–**स**	34	0.32	सुरक्षित	–
82	इकबालपुर	मरगूबपुर–**ब**	50	0.46	सुरक्षित	–
योग :–			**5856**	**54.29**	–	–
83	ज्वालापुर	बोंगला–**अ**	38	0.35	सुरक्षित	–
84	ज्वालापुर	अहमदपुर **ग्रंट–ब**	80	0.74	सुरक्षित	–
85	ज्वालापुर	बहादुरपुर **जट्ट–द**	80	0.74	सुरक्षित	–
86	ज्वालापुर	**एक्कड़ खुर्द–अ**	90	0.83	सुरक्षित	–
87	ज्वालापुर	**एक्कड़ खुर्द–ब**	69	0.64	सुरक्षित	–
88	ज्वालापुर	रोहालकी–**ब**	64	0.59	सुरक्षित	–
89	ज्वालापुर	सहदेवपुर (सहदेवपुर–**स**)	44	0.41	सुरक्षित	–
90	ज्वालापुर	**रूहालकी ग्रंट** (अलीपुर–**ब**)	100	0.93	सुरक्षित	–
91	ज्वालापुर	**एक्कड़कला–ब**	39	0.36	सुरक्षित	–
92	ज्वालापुर	टिहरी विस्थापित (पथरी–द)	172	1.59	सुरक्षित	–
93	ज्वालापुर	फेरूपुर–ई	90	0.83	सुरक्षित	–
योग :–			**866**	**8.03**	–	–
महायोग :–			**14720**	**136.45**	–	–

08/11/21

आयुक्त,

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

उत्तराखण्ड

(खण्ड–क)

पत्रांक : 1503 /सी/ख–क्रय अनुभाग/ग0सुर0/2021–22 /दिनांक : 08 नवम्बर, 2021

मैसर्स धनश्री एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, इकबालपुर (हरिद्वार)

क्र0 सं0	नाम गन्ना समिति	नाम गन्ना क्रय केन्द्र	गन्ना क्षेत्रफल (हैक्टे0)	औसत उपज के अनुसार अनुमानित गन्ना उत्पादन (लाख कु0)	सुरक्षित/ अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	इकबालपुर	मिलगेट	4887	45.30	सुरक्षित	–
2	इकबालपुर	हाल्लूमाजरा (भगवानपुर–ब)	102	0.95	सुरक्षित	–
3	इकबालपुर	कालसी (भगवानपुर–स)	272	2.52	सुरक्षित	–
4	इकबालपुर	रूड़की	128	1.19	सुरक्षित	–
5	इकबालपुर	तांशीपुर–अ	219	2.03	सुरक्षित	–
6	इकबालपुर	चुडियाला	120	1.11	सुरक्षित	–
7	इकबालपुर	लामग्रंट	151	1.40	सुरक्षित	–
8	इकबालपुर	बेलकी	51	0.47	सुरक्षित	–
9	इकबालपुर	सोहलपुर माजरी–अ (माजरी)	39	0.36	सुरक्षित	–
10	इकबालपुर	सोहलपुर माजरी–ब	39	0.36	सुरक्षित	–
11	इकबालपुर	सोहलपुर माजरी–स	38	0.35	सुरक्षित	–
12	इकबालपुर	सिकन्दरपुर (सिकन्दरपुर–अ)	112	1.04	सुरक्षित	–
13	इकबालपुर	दौड़बसी (सिकन्दरपुर–ब)	111	1.03	सुरक्षित	–
14	इकबालपुर	डाडापट्टी (डाडापट्टी–अ)	96	0.89	सुरक्षित	–
15	इकबालपुर	डाडाफरकपुर (डाडापट्टी–ब)	96	0.89	सुरक्षित	–
16	इकबालपुर	अमानतगढ़–अ	80	0.74	सुरक्षित	–
17	इकबालपुर	अमानतगढ़–ब	79	0.73	सुरक्षित	–
18	इकबालपुर	बुधवाशहीद (बुधवाशहीद–अ)	98	0.91	सुरक्षित	–
19	इकबालपुर	शहीद ग्रंटवाला (बुधवाशहीद–ब)	97	0.90	सुरक्षित	–
20	इकबालपुर	तेलपुरा (तेलपुरा–अ)	94	0.87	सुरक्षित	–
21	इकबालपुर	गांझा (तेलपुरा–ब)	94	0.87	सुरक्षित	–
22	इकबालपुर	इब्राहीमपुर–अ	51	0.47	सुरक्षित	–
23	इकबालपुर	इब्राहीमपुर–ब	51	0.47	सुरक्षित	–
24	इकबालपुर	खेड़ीशिकोहपुर	74	0.69	सुरक्षित	–
25	इकबालपुर	बुग्गावाला	124	1.15	सुरक्षित	–
26	इकबालपुर	आनेकी–अ (औरंगाबाद)	84	0.78	सुरक्षित	–
27	इकबालपुर	ढंडेरी ख्वाजीपुर (ढंडेरी ख्वाजीपुर–अ)	65	0.60	सुरक्षित	–
28	इकबालपुर	मानूवास शेखवाला–अ	100	0.93	सुरक्षित	–
29	इकबालपुर	मुस्तफाबाद–स	56	0.52	सुरक्षित	–
30	इकबालपुर	बोडाहेडी–स	59	0.55	सुरक्षित	–

31	इकबालपुर	हजाराग्रंट (कोटामुरादनगर–ब)	51	0.47	सुरक्षित	–
32	इकबालपुर	कलालहट्टी–ब	86	0.80	सुरक्षित	–
33	इकबालपुर	खुब्बनपुर–अ	227	2.10	सुरक्षित	–
34	इकबालपुर	खुब्बनपुर–ब	113	1.05	सुरक्षित	–
35	इकबालपुर	लाब्बा	113	1.05	सुरक्षित	–
36	इकबालपुर	भलस्वागाज–ब	101	0.94	सुरक्षित	–
37	इकबालपुर	खेलपुर	196	1.82	सुरक्षित	–
38	इकबालपुर	बूढ़पुर नूरपुर–ब	87	0.81	सुरक्षित	–
39	इकबालपुर	रांगड़वाला–ब	96	0.89	सुरक्षित	–
40	इकबालपुर	मूलदासपुर–ब	92	0.85	सुरक्षित	–
41	इकबालपुर	भारापुर–स	50	0.46	सुरक्षित	–
42	इकबालपुर	बेडहेकी / सैदाबाद	121	1.12	सुरक्षित	–
43	इकबालपुर	झबरेड़ा कस्बा ब	219	2.03	सुरक्षित	–
44	इकबालपुर	अकबरपुर झोझा–अ	107	0.99	सुरक्षित	–
45	इकबालपुर	बहबलपुर–स	53	0.49	सुरक्षित	–
46	इकबालपुर	सिरचन्दी	53	0.49	सुरक्षित	–
47	इकबालपुर	आनेकी–ब (औरंगाबाद)	100	0.93	सुरक्षित	–
48	इकबालपुर	मानूवास शेखवाला–ब	99	0.92	सुरक्षित	–
49	इकबालपुर	कोटवाल–ब	171	1.59	सुरक्षित	–
50	इकबालपुर	रामपुर	223	2.07	सुरक्षित	–
51	इकबालपुर	खरखड़ीदयाल	61	0.57	सुरक्षित	–
52	इकबालपुर	हबीबपुर निवादा	151	1.40	सुरक्षित	–
53	इकबालपुर	खानपुर खुलासी	51	0.47	सुरक्षित	–
54	इकबालपुर	इब्राहीमपुर	51	0.47	सुरक्षित	–
55	इकबालपुर	झबरेड़ी कलां ब	110	1.02	सुरक्षित	–
56	इकबालपुर	दरियापुर	124	1.15	सुरक्षित	–
57	इकबालपुर	नगला कुबड़ा	70	0.65	सुरक्षित	–
58	इकबालपुर	खजूरी	80	0.74	सुरक्षित	–
59	इकबालपुर	बनवाला (तेलपुरा–स)	93	0.86	सुरक्षित	–
60	इकबालपुर	डाडाजलालपुर	89	0.83	सुरक्षित	–
61	इकबालपुर	टिहरा हजारा (हजाराग्रंट–ब)	61	0.57	सुरक्षित	–
62	इकबालपुर	जैनपुर	52	0.48	सुरक्षित	–
63	इकबालपुर	आसफनगर	51	0.47	सुरक्षित	–
64	इकबालपुर	मुकरपुर रणसुरा–स	134	1.24	सुरक्षित	–
65	इकबालपुर	जस्वावाला (धनौरी स)	101	0.94	सुरक्षित	–
66	इकबालपुर	हल्बाहेड़ी (भौरी ई)	62	0.57	सुरक्षित	–
67	इकबालपुर	मानकपुर–अ	250	2.32	सुरक्षित	–
		योग :–	**11616**	**107.68**		
68	ज्वालापुर	अहमदपुर ग्रंट—स	58	0.54	सुरक्षित	–
69	ज्वालापुर	फेरुपुर–द	81	0.75	सुरक्षित	–
70	ज्वालापुर	बहादुरपुर जट्ट–स	74	0.69	सुरक्षित	–
71	ज्वालापुर	अलीपुर–स	94	0.87	सुरक्षित	–

72	ज्वालापुर	बोंग्ला–स	101	0.94	सुरक्षित	–
73	ज्वालापुर	दादूगोविन्दपुर (बहादराबाद–स)	18	0.17	सुरक्षित	–
74	ज्वालापुर	खेलड़ी / सलेमपुर	91	0.84	सुरक्षित	–
75	ज्वालापुर	इब्राहीमपुर चीटींकोठी–स	67	0.62	सुरक्षित	–
76	ज्वालापुर	जाट का डेरा (सहदेवपुर–ब)	90	0.83	सुरक्षित	–
योग :–			**674**	**6.25**	–	–
77	लिब्बरहेड़ी	सढौली–बी	48	0.44	सुरक्षित	–
78	लिब्बरहेड़ी	टिकौला कला–ब	105	0.97	सुरक्षित	–
79	लिब्बरहेड़ी	शेरपुर खेलमऊ–स	99	0.92	सुरक्षित	–
80	लिब्बरहेड़ी	बुड़पुर जट	96	0.89	सुरक्षित	–
81	लिब्बरहेड़ी	मोहम्मदपुर जट–ब	108	1.00	सुरक्षित	–
82	लिब्बरहेड़ी	ब्रहमपुर जट–ब	109	1.01	सुरक्षित	–
83	लिब्बरहेड़ी	खेड़ाजट–सी	51	0.47	सुरक्षित	–
योग :–			**616**	**5.71**	–	–
महायोग :–			**12906**	**119.64**		

आयुक्त,
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड